

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या: /2018/754/दो-2-2018-22(32)/82
लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2018
कार्यालय ज्ञाप

विशेष सचिव, गोपन विभाग एवं अपर निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना 30प्र0, लखनऊ के कार्यों के निष्पादन हेतु विशेष कार्याधिकारी पदेन विशेष सचिव, गोपन विभाग, 30प्र0 शासन का 01 निःसंवर्गीय अस्थाई पद कार्यालय ज्ञाप संख्या-3353/दो-2-2014-22(32)/82 दिनांक 29-08-2014 में सृजित किया गया था। उक्त पद की अन्तिम बार निरन्तरता कार्यालय ज्ञाप संख्या-96/2017/3432/दो-2-2017-22(32)/82 दिनांक 01-09-2017 द्वारा दिनांक 28-02-2018 तक बढ़ाई गयी थी। उक्त पद की आवश्यकता वर्तमान में भी बनी हुई है। अतः कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-08-2014 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी/पदेन विशेष सचिव, गोपन विभाग, 30प्र0 शासन के 01 निःसंवर्गीय अस्थाई पद की निरन्तरता दिनांक 01-03-2018 से 30-06-2018 तक बढ़ाये जाने तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3354/दो-2-2014-22(32)/82 दिनांक 29-08-2014 में उल्लिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री कृष्ण गोपाल को उक्त वेतनमान में उक्त पद पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 सचिवालय के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-269/दस-2018 दिनांक 28-02-2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 30प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, 30प्र0 शासन।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, 30प्र0 शासन।
6. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), 30प्र0शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ।
9. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/12 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
11. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7/8/9 (विविध)
12. सम्बन्धित अधिकारी।
13. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।